रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2 , 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

सा.का.नि 98(अ).— केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (गग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 है।

(1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये 1 अगस्त, 2015 को प्रवृत हुए समझे जायेंगे।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2015 को या उसके पश्चात पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, नियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएँगे, अर्थात् :-

"(I) किसी विकास अधिकारी को उसके प्रचालन क्षेत्र के संबंध में लागू व्यय सीमा, ऐसी व्यय सीमा होगी, जो नियम 2 के खंड (न) के अधीन व्यय सीमा की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अपने प्रचालन क्षेत्र के संबंध में किसी विकास अधिकारी को लागू व्यय सीमा, जहां सुसंगत मूल्यांकन वर्ष के प्रारम्भ पर या उससे पूर्व, -

(क) उसने पचपन वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वहाँ व्यय सीमा नियम 2 के खंड (ञ) के अधीन चार प्रतिशत बढ़ाकर व्यय सीमा की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट व्यय सीमा होगी; या

(ख) उसने विकास अधिकारी के रूप में दस वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है और पचास वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परंतु पचपन वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, वहाँ व्यय सीमा नियम 2 के खंड (ञ) के अधीन, दो प्रतिशत बढ़ाकर, व्यय सीमा की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट व्यय सीमा होगी।

3. उक्त नियमों के नियम 6 में

(क) उप-नियम (1), "अवप्रेरणा सारणी" के स्थान पर निम्नलिखित अवप्रेरणा सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"अवप्रेरणा सारणी

क्रम सं.	जहाँ लागत अनुपात विहित सीमा से अधिक है	अवप्रेरणा, जहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख "अवप्रेरणा सारणी" से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात विहित सीमा से अधिक है				
		प्रथम अवसर पर	द्वितीय क्रमिक अवसर पर	तृतीय क्रमिक अवसर पर	चतुर्थ क्रमिक अवसर पर	पंचम और अनुवर्ती क्रमिक अवसर पर
1.	2% से अधिक नहीं (परंतु यह कि मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32% से अधिक नहीं है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	2% से अधिक परंतु 4% से अधिक नहीं (परंतु यह कि मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32% से अधिक	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 30% कटौती	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 50% कटौती	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 60% कटौती	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 60% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	नियत वाहन भत्ते में 80% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं

	नहीं है) ।					
3.	4% से अधिक (परंतु मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32% से अधिक नहीं है) ।	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 50% कटौती	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 60% कटौती	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 60% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 80% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 80% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं और एक वेतन ह्रास
4.	जहाँ मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32% से अधिक है, परंतु 35% से अधिक नहीं है।	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) मैं 60% कटौती	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 60% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 80% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 80% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं और एक वेतन ह्रास	कोई नियत वाहन भत्ता (एफसीए) नहीं और कोई वेतन वृद्धि नहीं और एक वेतन ह्रास
5.	जहाँ मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 35% से अधिक है।	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 60% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 80% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	नियत वाहन भत्ते (एफसीए) में 80% कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं और एक वेतन ह्रास	कोई नियत वाहन भत्ता (एफसीए) नहीं और कोई वेतन वृद्धि नहीं और एक वेतन ह्रास	कोई नियत वाहन भत्ता (एफसीए) नहीं और कोई वेतन वृद्धि नहीं और दो वेतन ह्रास" ;

(ख) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:- "(8) उप-नियम (1) से (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी पूर्ववर्ती वर्ष (इसके बाद इस उप-नियम में "सुसंगत वर्ष" के रूप में उल्लिखित) में किसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष के पात्र प्रीमियम के 50% से अधिक है तथा सुसंगत वर्ष और सुसंगत वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में वार्षिक पारिश्रमिक का कुल जोड़ उन तीनों वर्षों में पात्र प्रीमियम के कुल जोड़ के 50% से अधिक है, वहाँ उसकी सेवाएँ नियम 7 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी।"

4. उक्त नियमों के नियम 7 में, –

(क) उप-नियम (1) में, शब्द "क्षेत्रीय प्रबंधक" के स्थान पर शब्द "नियोक्ता प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) में, शब्द "प्रबन्ध निदेशक" के स्थान पर शब्द "क्षेत्रीय प्रबन्धक" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उप-नियम (3) में, शब्द "प्रबन्ध निदेशक" के स्थान पर शब्द "क्षेत्रीय प्रबन्धक" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(4) विकास अधिकारी जिसकी अपील क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अस्वीकार की गई हो, अध्यक्ष को इस विषय में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 14 में शब्द "या सहायक प्रशासनिक अधिकारी" के स्थान पर "सहायक प्रशासनिक अधिकारी के प्रवर्ग में" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 15 में, शब्द "सात वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-11012/04/2015-बीमा 1]

आलोक टंडन, सयुंक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी विकास अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22th January, 2016

G.S.R. 98(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (cc) of sub-section (2), of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Amendments Rules, 2016.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2015.

(3) These rules shall be applicable in respect of appraisals falling due on the 1st August, 2015 and thereafter.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said Rules) in rule 4, for rules (1) and (2) the following rules shall be substituted, namely:-

"(1) The expense limit applicable to a Development Officer in relation to his operational area shall be the expense limit as specified in the Table of Expense Limit under clause (j) of rule 2.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), the expense limit applicable to a Development Officer in relation to his operational area, where on or before the commencement of the relevant appraisal year,-

(a) he has completed the age of fifty-five years, shall be the expense limit as specified in the Table of Expense Limit under clause (j) of rule 2 as increased by four percent.; or

(b) he has completed ten years or more of service as a Development Officer and has completed the age fifty years but not completed the age of fifty-five years, shall be the expense limit as specified in the Table of Expense Limit under clause (j) of rule 2 as increased by two percent.”.

3. In rule 6 of the said Rules.-

(a) in sub rule (1), for the “Table of Disincentives” the following ‘Table of Disincentives’ shall be substituted, namely:-

“Table of Disincentives

Sl. No.	Where the cost ratio is in excess of prescribed limit.	Disincentives where the cost ratio is in excess of prescribed limit in the appraisal year next preceding the relevant appraisal date.				
		On the first occasion	On the second successive occasion	On the third successive occasion	On the fourth successive occasion	On the fifth and subsequent successive occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	By not more than 2% (Provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 32%).	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	By more than 2% but not more than 4% (Provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 32%).	30% cut in Fixed Conveyance Allowance	50% cut in Fixed Conveyance Allowance	60% cut in Fixed Conveyance Allowance	60% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment	80% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment
3.	By more than 4% (Provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 32%).	50% cut in Fixed Conveyance Allowance	60% cut in Fixed Conveyance Allowance	60% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment	80% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment	80% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment and one decrement
4.	Where the cost ratio in the appraisal year is more than 32% but not more than 35%.	60% cut in Fixed Conveyance Allowance	60% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment	80% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment	80% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment and one decrement	No Fixed Conveyance Allowance and No Increment and one decrement
5.	Where the cost ratio in the appraisal year is more than 35%.	60% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment	80% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment	80% cut in Fixed Conveyance Allowance and No Increment and one decrement	No Fixed Conveyance Allowance and No Increment and one decrement	No Fixed Conveyance Allowance and No Increment and two decrements”;

(b) for sub-rule (8) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (7) where the annual remuneration of a Development Officer in any preceding year (hereafter in this sub-rule referred to as the "relevant year") exceeds 50% of the eligible premium of that year and the aggregate of the annual remuneration in the relevant year and the two appraisal years immediately preceding the relevant year exceeds 50% of the aggregate of the eligible premium in those three years, his services shall be liable to be terminated in accordance with rule 7.".

4. In rule 7 of the said Rules, -

a) in sub-rule (1), for the word "the Zonal Manager", the word "the appointing authority" shall be substituted;
b) in sub-rule (2), for the word " the Managing Director", the word "the Zonal Manager" shall be substituted;
c) in sub-rule (3), for the word " the Managing Director", the word "the Zonal Manager" shall be substituted;
d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted namely:—

"(4) A Development Officer whose appeal has been rejected by the Zonal Manager may submit a Memorial to the Chairman in respect of that matter.".

5. In rule 14 of the said Rules, for the words "or Assistant Administrative Officer", the words "in the cadre of Assistant Administrative Officer" shall be substituted.

6. In rule 15 of the said Rules, for the words "seven years" the words "ten years" shall be substituted.

[F. No. S-11012/04/2015-Ins.I]
ALOK TANDON, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is to certified that no Development Officer of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 818 (E), dated the 12th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.